न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 16/2023 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– .....

उनवान

1. देवी सिंह (मृतक)
   - 1/1. तेज सिंह
   - 1/2. दरब सिंह

   } पिसरान स्व0 देवी सिंह जाति कछवाहा निवासी नगला ओदी मजरा खानुआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
   - 1/3. शान्ति पुत्री देवी सिंह पत्नि भगवानदास जाति कुशवाह निवसी नगला भम्भा तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0
   - 1/4. जयदेई पुत्री देवी सिंह पत्नि विजयराम
   - 1/5. रामरती पुत्री देवी सिंह पत्नि वीरी सिंह

   } जाति कुशवाह निवासी सांगोरी तह0 बसेरी जिला धौलपुर।
2. गुलाब सिंह (मृतक)
   - 2/1 मंगल सिंह
   - 2/2. जगन सिंह
   - 2/3. बच्चू सिंह
   - 2/4. रोशनलाल

   } पिसरान गुलाब सिंह जाति कुशवाह निवासी नगला ओदी मजरा खानुआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
   - 2/5. चम्पा पुत्री गुलाब सिंह पत्नि पूरन सिंह जाति कुशवाह निवासी नगला समाद तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
3. लज्जाराम पुत्र श्री गिर्राज (मृतक)
   - 3/1. रेवती (मृतक)
   - 3/2. हरी सिंह
   - 3/3. महाराज सिंह
   - 3/4. गीतम सिंह
   - 3/5. दीवारीलाल
   - 3/6. बीधा

   } पिसरान लज्जाराम जाति कुशवाह निवासी नगला ओदी मजरा खानुआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
   - 3/7. श्यामवती पुत्री लज्जाराम
   - 3/8. गायत्री पुत्री लाखन
4. रघुवर दयाल पुत्र गिर्राज
5. विजय सिंह पुत्र गोविन्दा
6. चिरंजीलाल पुत्र गोविन्दा
7. साहब सिंह पुत्र गोविन्दा

} जाति कुशवाह निवासी नगला ओदी मजरा खानुआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र गुल्टूराम
2. इन्द्रा देवी पत्नि ओमप्रकाश

} जाति गूजर निवासी गढी हाल निवासी खानुआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. नारायन सिंह पुत्र उदयराम जाति कुशवाह निवासी नगला ओदी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर, रूपवास दिनांक 22.06.1999 उनवानी ओमप्रकाश बनाम उदयराम मु0न0 176/96 पुराना 963/98 नया।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 25.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, रूपवास के आदेश दिनांक 22.06.1999 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम खानुआ में वादी एवं प्रतिवादी राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सेनुसार सहखातेदार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विधिवत विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र से अवगत कराया कि पत्रावली काफी तलाश करने के बाबजूद नहीं मिल पा रही है। इस बाबत् संबंधित लिपिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी जैरकार है। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट विवादित आराजी सम्पूर्ण पर अपीलाण्ट के पिता गोविन्दा व रैस्पो0 संख्या 03 के पिता उदयराम के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। जबकि रैस्पो0 संख्या 03 के पिता आराजी किता 16 रकवा 37 बीघा 18 विस्वा में 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे और अन्य आराजी ओर जुडने से उदयराम की आराजी बढ गयी है तथा अपीलांट की आराजी उनके

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

हिस्सानुसार कम आई है। जिससे अपीलाण्ट को असीम क्षति हुयी है। महज इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय पारित हुआ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अपीलाण्ट को जानकारी नहीं हो पायी। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा करते हुये, अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस मे केवल मियाद के संबंध में ही तर्क प्रस्तुत किये, गुणावगुण पर उन्होनें अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई प्रतिवाद नहीं किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.1999 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.10.2012 को प्रस्तुत की गयी है। मियाद के संबंध में उनका तर्क है कि अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय पारित हुआ था। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अपील न्यायालय हाजा में 13 वर्ष के असाधारण समय पश्चात् पेश की गयी है। इतने वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी ना होने का कथन, सत्यभाषी नहीं माना जा सकता। अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते, अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। परन्तु पक्षकार न्याय की अनुभूति से वंचित ना हो। इसलिये इसकी पूर्ति कोस्ट से की जा सकती है। अतः हम मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, 1200/– अक्षरे बारह सौ रूपये कोस्ट पर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार करना न्यायोचित समझते हैं।

6. गुणावगुण पर हम पाते हैं कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली काफी तलाश करने पर भी अधीनस्थ न्यायालय को नहीं मिली है एवं ना ही न्यायालय हाजा को प्राप्त हुयी है। जिससे प्रकरण के तथ्य यथा दावा, जवाब दावा, दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं हुये हैं। अपील प्रस्तुत करते समय भी पत्रावली गुम होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है, वह भी अस्पष्ट व धुंधली है। दौराने बहस रैस्पो0 के अभिभाषक द्वारा भी प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अतः हम न्यायहित में प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के लिये पुनः विधिवत निर्णय पारित करने प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रूपवास के निर्णय दिनांक 22.06.1999 अपास्त किये जाते हैं एवं पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यदि पूर्व पत्रावली नहीं मिली हो तो उभयपक्ष से प्रकरण के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य आदि का सहयोग लेते हुये, नवीन पत्रावली

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तैयार कर, उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये, पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 20.11.2023 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर